

Form-I
 (for linear Project)
 Government of Uttarakhand
 Office of the District Collector Bageshwar

No. memo

Dated 02-03-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.156 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Bhakarpant-Sasola-Vijaipur motor road in Bageshwar district** falls within jurisdiction of **Basdeo, Sasola, Hatrasya Villages in Kanda Tehsil**.



It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.156 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose – as above

Signature

Dated 02-03-2015


 (Bhupal Singh Manral,
 District Collector
 Seal)

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. 1 में मिलान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 0 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.576 है० सिविल सोयम भूमि, 1.580 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.156 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ग्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत का १५९५ प्राप्त दिनांक ३०/१२/१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम का १५९५ प्राप्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

है० / *[Signature]*
ग्राम पंचायत कार्यालय
कांडा तहसील
विधानसभा-बागेश्वर
दिनांक: ३०/१२/१५

प्रमाणित कार्यालय
ग्राम प्रधान जिला-बागेश्वर
[Signature]
दिनांक: ३०/१२/१५

गोट:- * यदि दिन्ही आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो जही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 20/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 20/12/2014

क्र० सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	आलगीसेंद गोदरा	<u>Alam</u>
2.	मुनील राज	<u>Munil</u>
3.	श्री सु-दर्शन गोदरा	<u>Suresh</u>
4.	श्री गोपीराज लाल वर्मा	<u>Gopiraj</u>
5.	श्री गोपा लाल वर्मा	<u>Gopal</u>
6.	श्री गोपा लाल वर्मा	<u>Gopal</u>
7.	श्री गोपा लाल वर्मा	<u>Gopal</u>
8.	श्री देवला लाल वर्मा	<u>Devla</u>
9.	श्री धनराम लालपाल	<u>Dhanram</u>
10.	श्री कैशीन दास लालपाल	<u>Kashin Das</u>
11.	श्री मुला चंद्र लालपाल	<u>Mula Chand</u>

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. १ में मिलान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. ० १ में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, ०.५७६ है० सिविल सोयग भूमि, १.५८० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल २.१५६ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~संस्थाला~~ द्वारा दिनांक २५.१२.२०१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हन्तन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~संस्थाला~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०
ग्राम सचिव
ससोला।

ह०/ प्रधान ~~पुला~~
ग्राम प्रधान पंचायत ससोला
वि०ख०/जिला-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 25/12/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत
.....

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री लक्ष्मीदास का०१५४१८
2.	श्री दीपेश का०१५४१८
3.	श्री प्रकाश चंद्र तिवारी
4.	श्री अक्षर राम
5.	श्री माधव राम
6.	श्री मुलन चंद्र का०१५४१८
7.	श्री धर्मानन्द का०१५४१८
8.	श्री नन्द राम
9.	श्री जीवन राम
10.	श्री गोपेन्द्र का०१५४१८

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—बजीना
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है 0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है 0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.156 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बजीना द्वारा दिनांक 01-09-2017 को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बजीना, तोक हथरसिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

हो/
ग्राम समिक्षांकायत दिक्कात अधिकारी
मुख्यमंत्री बंधुवीकरण
मुख्यमंत्री बंधुवीकरण
मुख्यमंत्री बंधुवीकरण

— श्रीशक्तिप्रभारी
ग्राम प्रधान 0/
ग्राम पंचायत बजीना
विधायक बागेश्वर जिला-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- बिला योजना के अन्तर्गत उन्नपद बागेश्वर में भाकड़फूल से ससीला दोते दुश्मियुर रखन्तेली गोट गार्ड का निर्माण,

दिनांक 01.09.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-बजीना (तोक-हथरसिया)

क्र० सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
११	श्री पेंग कंड पना	हंसी पना
१२	श्री नवीन-पना	२०१७ संवद
१३	श्री पुष्पेश्वरा प-ना	सराज Panjwani
१४	श्रीमती भीमा प-ना	देव चंद्रिमिता प-ना
१५	श्रीमती गीता पना	गीता पना
१६	पाठीमेहराज-	सीरा पना

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—ससोला
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है 0 आरक्षित वन भूमि, 0.576 है 0 सिविल सोयम भूमि, 1.580 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.156 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ससोला द्वारा दिनांक 31-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत ससोला, तोक भाकड़पन्त एवं बसुदेव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/ जिला अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विधान सभा
विधान सभा
विधान सभा

ह०/ ग्राम प्रधान
प्रधान पूर्ण
ग्राम पंचायत ससोला
विधान सभा/जिला-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- लिला योजना के अन्तर्गत जनपद बांग्रेश्वर से भाकड़पन्त से ससोला
द्वीपे द्वारा विजयपुर रवन्तोली मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 31-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-ससोला (तोक-बसुदेव)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	श्री पुरुष चंद्र कांडपांड	<u>पुरुष</u>
२	श्री नंद कुमार	<u>Nand Kumar</u>
३	श्री हरीश चंद्र कांडपांड	<u>हरीश</u>
४	श्री राम	<u>राम</u> मार्च 2017 मा. द्व-१८१५

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योग्यना के उन्नतीय अन्तर्गत बनपद गांवेर त्रैभाकड़पन्त से
ससोला वैते दुर्विधापुर रवन्तोली मीटर मार्ग स्थिरण,

दिनांक 31-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-ससोला (तोक-भाकड़पन्त)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	राम देवी चौहान राम	<i>C. Ram</i>
2-	बन शर्मा श्री हर्ष शर्मा मानुष	<i>Ban Sharma</i>
3-	मोहनराम श्री दिवालीराम	<i>Mohan Ram</i>
4-	दिवाली राम श्री अक्षीर राम	<i>D. Ram</i>
(5)	मादन राम	<i>Madan Ram</i>
(6)	पवन कुमार	<i>Pawan Kumar</i>
(7)	सीना की	<i>Meena</i>
(8)	आशा देवी	<i>Asha Devi</i>
(9)	सुतीली देवी	
(10)	भूवन चंद्र काठपाल	<i>Bhuvan Chandra Kapatpal</i>
(11)	शर्मा लक्ष्मी	
(12)	भूवन चंद्र काठपाल	<i>Bhuvan Chandra Kapatpal</i>
(13)	शर्मा लक्ष्मी काठपाल	
(14)	इच्छा देवी	
(15)	मादनी देवी	
	जगद्धिमुख गोप	
16)	बौद्धुमान चंद्र काठपाल	<i>Baudhu Man Chandra Kapatpal</i>
17	दीक्षा चंद्र काठपाल	<i>Deeksha Chandra Kapatpal</i>
(18)	गोदावरी देवी काठपाल	<i>Goddavari Devi Kapatpal</i>

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. १ में मिलान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- कांडा

उपखण्ड कांडा परिषेत्र के अन्तर्गत भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. ०१० में मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वनभूमि, 0.576 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 1.580 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 2.156 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक २६.०२.२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी रेखा लक्ष्मी..... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

१- श्री मत्ती रेखा लक्ष्मी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
२- श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय बनाधिकारी	सदस्य
३- श्री छ्वाडक सिंह शाहूत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ राजिका
४- श्री अर्जुनदास गोदाम	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य/ ब्रह्मदेवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपर्युक्त बैठक कांडा अनुसूचित जनजाति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि. मी. ०१० में मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय बनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत बन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम २ के प्राविधिकारों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया अंकि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस उन्नति में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। यातः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत भाकडपंत से ससोला होते हुए बिजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के किमी १ में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय समन्वय अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय समन्वय अधिकार समिति
तहसील कांडा ।
जनपद बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक २८.०२.१५ को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक २८.०२.२०१५ द्वारा भाकडपंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० १ में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भाकडपंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० १ में मिलान मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के रचरूप को परिवर्तन कर भाकडपंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० १ में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा भाकडपंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० १ में मिलान मोटर मार्ग के लिए 2.156 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक ०२.०३.२०१५

(भूपाल/सिंह मनराल)

जिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.156 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक ०२.०३.२०१५

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर